निविदा प्रपत्र

छत्तीसगढ़ के कृषकों द्वारा उत्पादित धान के उपार्जन एवं विकेन्द्रीकृत योजना चावल उपार्जन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ शासन के आदेश क्र./एफ 3–14/2010/29 दिनांक 29.04.2010 द्वारा गठित की गई राज्य स्तरीय समिति द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2016–17 हेतु कुल राशि ₹ 9,600.00 करोड़ (अक्षरी – नौ हजार छः सौ करोड़ मात्र) की साख–सीमा/अल्पकालीन ऋण सुविधा के प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित शेड्यूल्ड कामर्शियल बैंकों की सूची 'A' एवं 'B' के तहत् निम्नानुसार शर्तों के अंतर्गत आमंत्रित किया जाता है :–

1. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, रायपुर को अनुमानित राशि ₹ 9,600.00 करोड़ (अक्षरी– नौ हजार छः सौ करोड़ रूपये मात्र) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावे। उपरोक्तानुसार स्वीकृत राशि में से नवम्बर, 2016 तथा इसके पश्चात् आवश्यकता अनुसार किश्तों में राशि आहरित की जा सकेगी।
2. छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ हेतु न्यूनतम प्रस्ताव राशि ₹ 200.00 करोड़ (अक्षरी– दो सौ करोड़ मात्र) का होगा।
3. प्रस्तावित की जाने वाले साख–सीमा/अल्पकालीन ऋण की राशि वर्तमान में स्वीकृत किये गये राशि के अतिरिक्त होगी।
4. साख–सीमा/अल्पकालीन ऋण की सिक्योरिटी विपणन संघ हेतु उपार्जित धान सी.एम.आर. चावल का स्टाक एवं बिल्स रिसीवेबल का हाइपोथिकेशन हेतु सी.एम.आर. चावल लेव्ही चावल का स्टाक तथा बिल्स रिसीवेबल का हाइपोथिकेशन किया जा सकेगा।
5. साख–सीमा सुविधा तथा इसके विरूद्व सिक्योरिटी हेतु मार्जिन राशि शून्य रहेगी।
6. प्रोसेसिंग एवं दस्तावेज शुल्क शून्य रहेगी। विपणन संघ द्वारा खरीफ वर्ष 2016–17 के लिए समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन माह नवम्बर, 2016 से माह जनवरी, 2017 तक किया जाना है। साख–सीमा से राशि का आहरण उपार्जित धान की मात्रा व आवश्यकतानुसार किया जावेगा।
7. स्वीकृत साख–सीमा/अल्पकालीन ऋण पर दण्ड ब्याज अधिकतम 2% मान्य किया जावेगा। राज्य शासन द्वारा घोषित अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस पर भुगतान करने की स्थिति में कोई दण्ड ब्याज मान्य नहीं किया जावेगा।
8. ब्याज दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 01 अप्रैल, 2016 से लागू पद्धति के आधार पर निर्धारित होनी चाहिये जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित हो कि निर्धारित दर किस अवधि तक के लिये स्थिर (Fix)है।
9. निविदाकर्ता बैंक की शाखा, रायपुर, छत्तीसगढ़ में होना अनिवार्य है।
10. साख–सीमा सुविधा स्वीकृति दिनांक से छः माह से 01 वर्ष की अवधि हेतु उपलब्ध करायी जावे। विपणन संघ द्वारा राशि की उपलब्धतता के आधार पर समय पूर्व भुगतान अथवा भुगतान हेतु निर्धारित समयावधि में वृद्धि, जैसी भी स्थिति हो, उपयोग किया जावेगा।

11. प्रस्ताव स्वीकृति दिनांक से अधिकतम 07 दिवस की सीमा में साख–सीमा सुविधा आहरण हेतु उपलब्ध कराना होगा।

12. साख–सीमा सुविधा के विरूद्ध वास्तविक आहरण की तिथि से ही ब्याज देय होगा।

13. ऋण पुनर्भुगतान हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व भी भुगतान किया जा सकेगा एवं भुगतान करने की तिथि तक ही वास्तविक ब्याज की राशि भुगतान की जा सकेगी। संघ पर किसी भी समय में बैंकों द्वारा स्वीकृत साख–सीमा का पूर्ण उपयोग किया जाना बाध्यकारी नहीं होंगा।

14. जिन बैंकों के ऑफर स्वीकृत किये जायेंगे, उन्हें अनुबंध पत्र में ऑफर शर्तो में उल्लेखित शर्तों को सम्मिलित कर तैयार किये गए अनुबंध पत्र में अनुबंध का निष्पादन 05 दिवस के भीतर करना होगा ।

15. विपणन संघ का वित्तीय वर्ष 2013–14 तक उपलब्ध अंकेक्षित वित्तीय पत्रक के आधार पर ही साख–सीमा/टर्म लोन ऋण उपलब्ध कराना होगा।

16. यदि सफल ऑफरकर्ताओं से संपूर्ण राशि की व्यवस्था नहीं हो पाती है और न्यूनतम से अधिक ब्याज दर ऑफर करने वाले अगले बैंकों से साख/ऋण लेने की जरूरत पड़ती है, तो ऐसी दशा में अगले बैंको से न्यूनतम ब्याज दर के समान अथवा उसके निकट दर पर ही साख/ऋण देने की सहमति दिये जाने हेतु निगोशियेशन बैठक में प्रस्ताव रखा जावेगा ।

17. बैंको द्वारा प्राप्त ब्याज दर के आधार पर एवं आवश्यकतानुसार निगोशियेशन के पश्चात् प्रस्ताव पर निर्णय लिया जावेगा। प्राप्त प्रस्ताव को मान्य/अमान्य करने का अधिकार राज्य स्तरीय समिति के पास सुरक्षित रहेगा ।

उपरोक्त साख–सीमा उपलब्ध कराने हेतु इच्छुक बैंक (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित शेड्यूल्ड कामर्शियल बैंकों की सूची 'A' एवं 'B' अनुसार) अपने लेटर हेड पर प्रस्ताव प्रत्येक संस्था हेतु पृथक–पृथक सील बंद लिफाफे में दिनांक 20.9.16 को दोपहर 3:00 बजे तक कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, 880 सिविल लाईन्स, मुख्यालय, रायपुर (छ.ग.) 492001 में स्वतः/अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित बैंक/वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जावेगा। बैंको द्वारा प्राप्त ब्याज दर के आधार पर एवं आवश्यकतानुसार निगोशियेशन के पश्चात प्रस्ताव पर निर्णय लिया जावेगा। प्राप्त प्रस्ताव को मान्य/अमान्य करने का अधिकार राज्य स्तरीय समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

संपर्क–
छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर
दूरभाष क्रमांक -0771.2425232/2445398/2425234

Alpana 2/9/16
(डॉ. अल्पना घोष)
वित्तीय नियंत्रक सह
मुख्यलेखाधिकारी